



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act, 2009 No. 25 of 2009
Web Site-www.ggu.ac.in, ph. No. 260021, Fax No. 07752-260148,154

कमांक १५१ / अकाउ २०१५

बिलासपुर, दिनांक १९/३/१५

प्रति,

विभागाध्यक्ष,
वाणिज्य विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छोगो)

विषय:- विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 के विषय कं०-०२ में लिये गये निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महोदय,

विषयांतर्गत विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 के विषय कं०-०२ में आपके विभाग के प्रस्ताव पर समिति ने अंकित किया तथा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2015-16 में वाणिज्य विभाग के अंतर्गत बी.काम-प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों की सीट संख्या 120 निर्धारित की गई है एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश प्रणाली (Lateral Entry) सत्र 2015-16 के लिये रथगित की है।

कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति जी के सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अधिष्ठाता, अध्ययनशाला प्रबंध एवं वाणिज्य की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. विभागाध्यक्ष, संगणक विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. उप-कुलसचिव परीक्षा एवं सहा.कुलसचिव गोप./प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप-कुलसचिव (अका.)

८५१/२६७
२०/३/१५